Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक 609 / 2015 दिनांक – 3 / 10 / 2015

विषय :– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में पंजीकृत अभिकर्ताओं को संपत्ति विक्रय पर दिए जाने वाले कमीशन की बढ़ोत्तरी के संबंध में।

संदर्भ :– मण्डल मुख्यालय का आदेश कमांक 554 / 2014 दिनांक 15.09.2014

– –000– –

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 44वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 12.08.2014 की पद संख्या–30 के पारित संकल्प क्रमांक 1263–30 /44/08/ 2014 तथा मण्डल के परिपत्र क्रमांक 09 दिनांक 01.09.2014 के परिपालन में मण्डल की रिक्त सपत्ति को मानदेय/कमीशन आधार पर विक्रय करने हेतु आदेश कंमाक 554/2014 दिनांक 15.09.2014 द्वारा निर्देश प्रसारित किये गये है। उक्त आदेश में अभिकर्ता द्वारा मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के विक्रय हेतु आवेदन पत्र के मूल्य कि 40% तथा विक्रित सम्पत्ति के मूल्य की 0.5 % राशि जिसमें न्यूनतम रू.2000/– तथा अधिकतम रू. 15000/– मानदेय/कमीशन के रूप में भुगतान का निर्णय लिया गया है।

मण्डल के पंजीकृत अभिकर्ताओं द्वारा समय समय पर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्हें प्राप्त हो रही मानदेय/कमीशन राशि की बढ़ोत्तरी हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान में उन्हें मण्डल के उक्त निर्णय अनुसार ही मानदेय/कमीशन दिया जाता है।

यदि मान्य हो तो अभिकर्ताओं के उत्कृष्ठ कार्यों को देखते हुए तथा प्रोत्साहित करने हेतु मण्डल से दिए जाने वाले मानदेय/कमीशन राशि में बढ़ोत्तरी की जाती हैं। अभिकर्ता द्वारा मण्डल की संपत्ति विक्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र के विक्रय पर आवेदन पत्र के मूल्य कि 60% तथा विक्रित सम्पत्ति के मूल्य की 0.5% राशि जिसमें न्यूनतम रू. 4000/– तथा अधिकतम रू. 25000/– मानदेय/कमीशन के रूप में भुगतान की जाना है। मानदेय/कमीशन का भुगतान संपत्ति कय हेतु पंजीयन के पश्चात 50% तथा शेष 50% राशि संपत्ति का पूर्ण मूल्य मंडल के खाते में प्राप्त होने पर किया जावेगा।

मानदेय/कमीशन के अतिरिक्त अभिकर्ताओं को प्रति तिमाही में कुल विक्रय किये गये संपत्ति के मूल्य पर मण्डल की ओर से निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दिये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

1. 25 लाख से 50 लाख तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रू. 2000 /–
2. 50 लाख से 75 लाख तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रू. 4000 /–
3. 75 लाख से 1 करोड तक के संपत्ति विक्रय पर राशि रू. 7000 /–
4. 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति विक्रय पर राशि रू. 10000 /–

उक्त आदेश तुरंत प्रभावशील है। समस्त संपदा अधिकारी प्रतिमाह उनके प्रक्षेत्र में पंजीकृत प्रत्येक अभिकर्ता के कार्यवाही प्रगति से मुख्यालय को अवगत करावेगें।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

कमशः//2